HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc II Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 561/2024

In

S.B. Criminal (Appeal) No. 1796/2022

1. Maan Singh S/o Narayan Singh, Resident Of Kharkhedi Police Station Bhalta District Jhalawar (Raj) (Presently Behind The Bars At Central Jail Jhalawar)
2. Gyan Singh S/o Narayan Singh, R/o Kharkhedi P.s. Bhalta Dist. Jhalawar (Presently Behind The Bars At Central Jail Jhalawar)

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rohit Khandelwal
For Respondent(s)	:	Mr. Onkar Singh Rajpurohit, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

16/12/2024

अपीलार्थी–अभियुक्तगण की ओर से धारा **389** दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत द्वितीय सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों को सुना गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं उपलब्ध कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी–अभियुक्तगण को धारा 147, 148, 341, 323/149, 325, 326, 307 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 4/25 आयुध अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध एवं दण्डादिष्ट करते हुए अधिकतम पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्तगण का कथन रहा कि अपीलार्थी–अभियुक्तगण का प्रथम सजा–स्थगन प्रार्थना–पत्र दिनांक 31.10.2022 को निरस्त किया गया था तब अपीलार्थीगण की अभिरक्षा अवधि मात्र दो माह हुई थी। उनका तर्क है कि अपीलार्थीगण को अधिकतम 5 वर्ष के कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है और अब उन्हें अभिरक्षा में 2 वर्ष 9 माह से अधिक का समय परिहार (Remission) सहित व्यतीत हो चुका है, जो दिए गए दण्डादेश की आधी से अधिक अवधि है। उनका तर्क है कि अपील की सुनवाई एवं निस्तारण में समय लगना सम्भाव्य है। अतः अब जबकि अपीलार्थीगण ने प्रदत्त दण्डावधि की आधी से अधिक सजा भुगत ली है तो उनकी शेष सजा स्थगित की जावे।

विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया कि पूर्व में गुणावगुण पर अपीलार्थीगण का सजा स्थगन प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जा चुका है। वर्तमान में भी कोई परिवर्तन अभियुक्तगण के पक्ष में नहीं हुआ है, अतः सजा स्थगन प्रार्थना–पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष के तर्कों पर विचार किया गया। अपीलार्थीगण का प्रथम सजा स्थगन प्रार्थना–पत्र निरस्त किया गया था तब अपीलार्थीगण की अभिरक्षा अवधि लगभग दो माह ही हुई थी। अपीलार्थीगण के अभिरक्षा प्रमाण–पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा लगभग दो वर्ष 09 माह से अधिक की अवधि अभिरक्षा में व्यतीत कर ली है। उन्हें अधिकतम 5 वर्ष के कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। उनकी अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि प्रदत्त दण्डावधि की आधी से अधिक अवधि है। अपील की सुनवाई निकट भविष्य में होना संभाव्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण में उपलब्ध तथ्यात्मक स्थिति, बहस के दौरान प्रस्तुत किए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए एवं अपील में अन्तवर्लित महत्वपूर्ण विधिक प्रश्नों के गुणावगुण पर इस प्रक्रम पर कोई टिप्पणी किये बिना, अपील के निस्तारण में समय लगने की सम्भावना को देखते हुए यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी–अभियुक्त अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में जमा करवा दे तो इस पूर्ववर्ती शर्त की पालना के उपरान्त इस न्यायालय में दिनांक **18.01.2025** को एवं

तत्पश्चात जब भी उसे आदेशित किया जावे, अपनी उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बंधपत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो जमानतें विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे एवं आदेशित राशि जमा करवा दे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए एवं विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश अकलेरा (राज.) के द्वारा सेशन प्रकरण संख्या–14/2017 में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांकित 26.08.2022 के तहत दिये गये **दण्डादेश** (sentence) का क्रियान्वयन कारावास की सीमा तक इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

AJAY KUMAR SINGHAL /58